लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 88 / 2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 28.07.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/364

श्री नारायण चांवला पिता गणेश लाल चांवला निवासी 157 / ए / 2, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 07.09.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.06.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 88 / 2021 / (31.08) / 946 दिनांक 24.08.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.08.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 31.08.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा चाही गई सूचनाओं के संबंध में हाईलाईट करके आवेदन पेश किया है उसके बावजूद भी उसे आदिनांक तक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जान–बुझकर उसके द्वारा चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई है अतः चाही गई सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/490 दिनांक 05.08.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी श्री नारायण चांवला पुत्र श्री गणेश चांवला निवासी चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2021 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 03.06.2021 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग के पत्रांक/भू–अभि./रेकार्ड/आर.टी.आई./2020/1001 दिनांक 24.06.2021 से कुल किता 01 के सूचना प्राप्त हुई।
3. यह कि उक्त सूचना कुल किता 01 इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2812 दिनांक 01.07कृ2021 से प्रार्थी को डाक द्वारा निः शुल्क भिजवाई गई है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/490 दिनांक 05.08.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को कुल किता 01 पृष्ठ की सूचना उपलब्ध कराया जाना बताया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई सूचना का अवलोकन किया गया जिसमें प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग ने अवगत कराया है कि संलग्न प्रार्थना पत्र के पैरा 1 में प्रार्थी द्वारा मात्र मौजा चित्तौड़गढ़ के नवीन खसरा संख्या 2315, 2316, 2314 व 2317 तथा पुराने खसरा संख्या 1525/1 एवं 1525/2 तथा 1525/1ख जिसके नये आराजी संख्या 2306 हैं अंकित किये हैं प्रतिलिपि नहीं चाही गई है तथा पैरा नं. 2 में उक्त सभी आराजीयात की मिसल की प्रति चाही जा रही है तथा अंकित किया गया है कि संलग्न प्रपत्र में हाईलाईट किये गये मिसल नम्बर, फैसल दिनांक अनवान एवं

अपीलीय प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 88/2021 (सू.अ.)
श्री नारायण चांवला निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

कोर्ट का नाम अनुसार प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जावे, परन्तु पत्र के साथ संलग्नक में किसी प्रकार का कोई हाईलाईटेशन अंकित नहीं है तथा जो छायाप्रति संलग्न है वह भी अस्पष्ट है प्रार्थना पत्र में अंकित मिलस नं. 541/86 मिसल रजिस्टर में जमा नहीं है जिसके अभाव में प्रतिलिपि बनाया जाना संभव नहीं है।

अर्थात् अपीलार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है बल्कि जो प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख ने लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया गया है उसकी प्रति ही अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आशिंक स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः आवेदन पत्र के साथ हाईलाईट किये गये पत्र की प्रति पुनः लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध करावें तथा लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग को उक्त हाईलाईट किये गये पत्र की प्रति पुनः प्रेषित कर सूचना की तलाश करावें साथ ही अपीलार्थी को उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन भी करा दें ताकि अपीलार्थी उसके द्वारा वांछित सूचनाओं का चिन्हिकरण कर सके तथा बाद चिन्हिकरण उसके द्वारा चाही गई सूचनाऐं उसे निः शुल्क उपलब्ध करा दी जावे।

अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./88/2021(सू.अ.)/990 दिनांकः– 19/09/2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री नारायण चांवला पिता गणेश लाल चांवला निवासी मकान नं. 157/ए/2 गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)